

कार्यालय वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत  
पत्रांक- /14-1, पीलीभीत, दिनांक 14/08/2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

विषय :-

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० द्वारा बीसलपुर- बिलसण्डा मार्ग संख्या- 62 पी०ए० के चैनेज 5.924 से 5.959 दौयी पटरी पर ग्राम- ईटगांव, तहसील- बीसलपुर, जिला- पीलीभीत में स्थित खसरा/गाटा संख्या- 821 मे रिटेल आउट लेट/ पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु संरक्षित वन भूमि 0.114123 हे० के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष की पातन अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others30687/2017)

सन्दर्भ :-

आपके कार्यालय का पत्रांक- 2450/11-सी FP/UP/Others/30687/2017, दिनांक- 25.06.2019 एवं प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, पीलीभीत के कार्यालय का पत्रांक 248/15-1 दिनांक- 04.08.2020

महोदय,

आपके कार्यालय के उपर्युक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सानुरोध अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण कर निर्धारित प्रारूप में निम्नानुसार आख्या प्रेषित की जा रही है:-

Observe No.	Conditions	Status of Compliance
1	प्रस्तावित वनभूमि का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Referenced Digital Map संलग्न है किन्तु ऑनलाइन भाग-1 में Non Forest Area की के०एम०एल० फाईल अपलोड नहीं है। अतः प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित कर Geo Referenced Digital Map संलग्न करते हुये ऑनलाइन भाग-1 Non Forest Area की के०एम०एल० फाईल अपलोड करें।	प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित Geo Referenced Digital Map संलग्न करते हुये ऑनलाइन भाग-1 में Non Forest Area की के०एम०एल० फाईल अपलोड कर दी गयी है।
2	भूमि स्वामित्व वाले विभाग (लो०नि०वि०) द्वारा ले आउट प्लान का सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक 24.07.2013 के अनुसार प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	भूमि स्वामित्व वाले विभाग (लो०नि०वि०) द्वारा ले आउट प्लान का सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक 24.07.2013 के अनुसार प्रमाण पत्र पूर्व से संलग्न है। पुनः प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न है।
3	गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न की गयी है किन्तु मार्ग चिन्हित नहीं है। अतः गजट नोटिफिकेशन चिन्हित संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित छायाप्रति पूर्व में संलग्न की गयी थी पुनः चिन्हित गजट नोटिफिकेशन संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।

क्रमशः पेज 2 पर.....

4	ऑनलाइन भाग-2 के कमांक-13iv में क्षतिपूरक वनीकरण की टोपोशीट के स्थान पर क्षतिपूरक वनीकरण का Geo Referenced Digital Map अपलोड किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे डिलीट कर ऑनलाइन भाग-2 में कमांक-13 iv में प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित क्षतिपूरक वनीकरण की टोपोशीट अपलोड करें।	ऑनलाइन भाग-2 के कमांक-13iv में क्षतिपूरक वनीकरण की टोपोशीट के स्थान पर क्षतिपूरक वनीकरण का Geo Referenced Digital Map अपलोड किया गया था जिसको डिलीट कर ऑनलाइन भाग-2 में कमांक-13iv में प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित क्षतिपूरक वनीकरण की टोपोशीट अपलोड कर दी गयी है।
5	क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है किन्तु प्राक्कलन भारत सरकार की नवीन गाइड लाइन के अनुसार नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर 50 वृक्षों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन सारांश सहित संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में धनराशि एवं प्राक्कलन अपलोड करें।	भारत सरकार की नवीन गाइड लाइन के अनुसार 50 वृक्षों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन सारांश सहित संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में धनराशि एवं प्राक्कलन अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एच राजामोहन)

वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,  
पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत

पत्रांक- 324 /15-1 दिनांकित

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्य जीव बरेली वृत्त, बरेली को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रस्ताव को वृत्त स्तर से ऑनलाइन करने की कृपा करें।

प्रतिलिपि:-प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, पीलीभीत को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रस्ताव को बरेली वृत्त बरेली के कार्यालय से ऑनलाइन कराते हुए प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियां मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

(एच राजामोहन)

वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,  
पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत